न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी –अनुराग हरित (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 77/2024 तारीख दायरा:–22.08.2024

इस्माईलपुत्र सुबान जाति मेव निवासी ग्राम विरंगवा तहसील नगर जिला डीग

-------वादी

बनाम

तहसीलदार साहब तहसील नगर जिला डीग

------प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री हकमुदीन खान वादी।
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:–03.09.2024

वादी द्वारा दावे में वर्णित तथ्य कुछ इस प्रकार से है।हाल आराजी खसरा नंबर 502/0.32,503/0.14 किता 2 रक़बा 0.46, ग्राम विरंगवा ,तहसील नगर में स्थित है। राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी ने सहबन गलती से वादी का नाम आराजी मुताबिक़ संबंधित राजस्व रिकार्ड में छुट्टू पुत्र सुबानखा दर्ज कर दिया है ,जबकि वादी का सही नाम इस्माईल पुत्र सुवान खा है । वादी के समस्त दस्तावेजात जैसे परिवार राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, मूल निवास, प्रमाण–पत्र जाति प्रमाण–पत्र, एंव शेक्षिक दस्तावेज़ में वादी का नाम इस्माईल पुत्र सुवान खां है । जो सही है । छुट्टू पुत्र सुवाना नाम का कोई आदमी ग्राम विरंगवा में नही है, इस गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को नकल ज़माबंदी लेने से दिनांक 12-12-2023 को हुई।फलस्वरूप वादी द्वारा ये घोषणात्मक वाद प्रस्तुत न्यायलय हाजा किया गया।वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया।

उनवानी प्रकरण इस्माईलखां बनाम तहसीलदार में तहसीलदार नगर से रिपोर्ट ली गई ।श्री इस्माईल खां पुत्र सुबान खां जाति मेव निवासी विरगवां द्वारा दावा में ग्राम विरगवां के आ.ख.नं. 502 व 503 में छुट्टु पुत्र सुबान खां जाति मेव के स्थान पर सही नाम इस्माईल खां पुत्र सुबान खां करवाने के संबंध में प्रकरण में रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग) राज०

1. हाल राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम विरगवां के आ.ख.नं. 502 व 503 में छुट्टू पुत्र सुबान खां हि. 1/12 जाति मेव सा. विरगवां खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

2. उक्त आराजी प्रार्थी द्वारा जरिये बयनामा नामा. नं. 138 से क्रय की थी। जिसमें नाम छुट्टू पुत्र सुबान खां दर्ज रिकॉर्ड है।

3. पटवारी हल्का फतेहपुरकलां के अनुसार प्रार्थी का सही नाम इस्माईल है, जिसे ग्राम में छुट्टू के नाम से जाना जाता है। पूर्व में प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नं. का बयनामा छुट्टू के नाम से करवाया था, जिस कारण राजस्व रिकॉर्ड में नाम छुट्टू दर्ज हो गया।अतः मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का फतेहपुर कलां के ग्राम विरगवां के आ. ख.नं. 502 व 503 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम छुट्टू पुत्र सुबान खां के स्थान पर इस्माईल पुत्र सुबान खां नाम शुद्ध किये जाने की तहसीलदार नगर द्वारा अभिशंषा की गई है। पटवारी हल्का द्वारा मजमा ए आम में तैयार मौक़े पर्चे को भी संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेज़ात का अवलोकन किया गया।

:आदेश:

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नगर व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेज़ात के अवलोकन के आधार पर, फतेहपुर कलां के ग्राम विरगवां के आ. ख.नं. 502 व 503 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम छुट्टू पुत्र सुबान खां के स्थान पर इस्माईल पुत्र सुबान खां नाम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। इस आशय का अहकाम जारी हो । फ़ैसला सरेईजलास सुनाया गया।पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(अनुराग हरित)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०